

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मोखमसिंह

विपक्षी : श्री ओनाडसिंह

किस्म मुकदमा -88, 188 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 95/22

जीसीएमएस : 2022/237

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 03.06.2025</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय वाद विद्गो व अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मय स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा काउन्टर क्लेम विद्गो का पेश करने पर तलब की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री कुमदेश आमेटा द्वारा वकालत नामा पेश किया। शामिल फाईल रहे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मय स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद व काउन्टर वाद इसी स्तर पर विद्गो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मय स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को प्रार्थना पत्र वाद व काउन्टर वाद विद्गो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद व काउन्टर वाद विद्गो को पढकर अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मय स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। पक्षकारान की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मय प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अब इस वाद व काउन्टर वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद व काउन्टर वाद को इसी स्तर पर विद्गो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद व काउन्टर वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अधिवक्ता वादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद व काउन्टर वाद विद्गो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र व काउन्टर वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्गो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

